"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2006—कार्तिक 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 13160/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला-सरगुजा के इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/1449/21-अ/प्रा./छ. ग./2001, दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 8 में कालम 2 एवं कालम 3 एवं 4 के खंड 1 में लखनपुर को विलोपित कर उसके स्थान पर कालम 2 एवं कालम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"जूनालखनपुर"

2. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 9 में कालम 4 के खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"12 गेतरा"
"13 बिनकरा"

3. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 11 में कालम 4 के खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"11 चांदों"
"12 प्रतापपुर"
"13 मुकंदपुर"

4. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 12 में कालम 4 के खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"12 लब्जी"
"13 चोड़ेवा"
"14 लोसंगी"
"15 करई"

Raipur, the 8th November 2006

NOTIFICATION

No. 13160/XXI-A/Drafting/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996 (No. 26 of 1997), the State Government hereby makes the following amendment in District Sarguja of this Department Notification No. D/1449/XXI-B/Draft/C. G./01, dated 30th March, 2001, namely :—

AMENDMENT

In the Said Notification ;—

1. In Column 2, 3 and 4 of Serial No. 8 in place of Lakhanpur, the following shall be substituted, namely :—

"Junalakhanpur"

2. After No. 11 of column 4 in serial No. 9 of the following shall be inserted, namely :—

"12. Gaitra"
"13. Binkara"

3. After No. 10 of column 4 in serial No. 11 of the following shall be inserted, namely :—

"11. Chando"
"12. Praptap pur"
"13. Mukundpur"

4. After No. 11 of column 4 in serial No. 12 of the following shall be inserted, namely :—

"12. Labji"
"13. Chodewa"
"14. Losangi"
"15. Karai"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.